

11/23

1142014



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



-1-

विक्रय अनुबन्ध पत्र मय कब्जा

प्रतिफल की धनराशि -	रु0 10,55,000/-
आयोग धनराशि -	रु0 10,50,000/-
बकामा धनराशि -	रु0 5,000/-
मालियत -	रु0 4,26,375/-
अदा किये गये जनरल स्टैम्प -	रु0 73,950/-

1. मूगि का प्रकार - कृषि
2. परगना - बिजनौर



मि. अ. दुआरा



रु. अ. अ.
11/23/11



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



-2-

3. ग्राम — बरीना
4. सम्पत्ति का विवरण— भूमि खसरा संख्या 136 रकबा 0.057 हेक्टेअर, खसरा संख्या 137 रकबा 0.132 हेक्टेअर, खसरा संख्या 1624/1 रकबा 0.190 हेक्टेअर कुल रकबा 0.379 हे० का 1/2 भाग अर्थात् विक्रीत रकबा 0.1895 हे० स्थित ग्राम— बरीना, परगना— बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ।
5. मापन की ईकाई — हेक्टेअर
6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल — 0.1895 हेक्टेअर
7. राहक की स्थिति — सुल्तानपुर रोड से 200 मी० से



मि. अ. कुमार



मि. अ. कुमार



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



3.

- अधिक दूर
8. सम्पत्ति का प्रकार - कृषि
9. पेड़ों की स्थिति - कोई पेड़ नहीं है।
10. बोरिंग/ कुआँ/ अन्य - कुछ भी नहीं है।

संयुक्त चौहददी खसरा नं० 136 व 137

उत्तर	:	खसरा नं० 132.
दक्षिण	:	खसरा नं० 135, 138, 143
पूरब	:	खसरा नं० 131
पश्चिम	:	खसरा नं० 134



सि. म. प्र. कारा



दिनांक 20
11/07/2011



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



+

चौहद्दी खसरा नं० 1624/1

उत्तर : खसरा नं० 1623
 दक्षिण : ग्राम सीमा दाउद नगर
 पूरब : खसरा नं० 1624 का शेप भाग
 पश्चिम : खसरा नं० 1624 का शेप भाग

प्रथम पक्ष की संख्या-1 : द्वितीय पक्ष की संख्या-1

प्रथम पक्ष का विवरण	: द्वितीय पक्ष का विवरण
दुलारा पुत्री धसीटे निवासी- शिवढरा, बरीना,	गयाप्रसाद पुत्र भगानी निवासी ग्राम- पूरे निधी, किलौली, जिला


 निवासी


 निवासी



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 072889

29/11/2018

5.

जिला लखनऊ।	शायबरेली।
व्यवसाय- कृषि	व्यवसाय- कृषि

यह विक्रय अनुबन्ध पत्र दुलारा पुत्री घसीटे निवासी- शिवडरा, बरौना, जिला लखनऊ जिन्हें आगे प्रथम पक्ष कहा गया है (जिसके अन्तर्गत प्रथम पक्ष के विधिक उत्तराधिकारी, वारिसान एवं निष्पादकगण सम्मिलित है)

एवम्

गयाप्रसाद पुत्र भगानी निवासी ग्राम- पूरे निधी, किलौली, जिला शायबरेली जिन्हें आगे द्वितीय पक्ष कहा गया है (जिसके अन्तर्गत



सि.स.कुमारा




सि.स.कुमारा



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 072890



-6-

द्वितीय पक्ष के विधिक उत्तराधिकारी, चारिस्तान एवं निष्पादकगण सम्मिलित हैं) के मध्य निष्पादित किया गया।

। यह कि प्रथम पक्ष भूमि खसरा संख्या 136 रकबा 0.057 हेक्टेअर, खसरा संख्या 137 रकबा 0.132 हेक्टेअर, खसरा संख्या 1624/1 रकबा 0.190 हेक्टेअर कुल रकबा 0.379 हे० का 1/2 भाग अर्थात् विक्रीत रकबा 0.1895 हे० स्थित ग्राम- बरौना, पुरगना- विजानौर, तहसील व जिला लखनऊ का मालिक, कामिल वृ कानिज है तथा उपरोक्त सत्यामित पटवारिक खाता खतीनी संख्या 00612 के अनुसार भूमि प्रथम पक्ष के नाम राजस्व अनिलेखों



नि. प्र. कुमार





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 072891

-7-

यह बतौर असंक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। प्रथम पक्ष अपना सम्पूर्ण हिस्सा द्वितीय पक्ष को इस विक्रय अनुबन्ध पत्र द्वारा विक्रय कर रहा है। प्रथम पक्ष उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, कागिल व काविज है एवं वर्तमान समय में उक्त नूनि कृषि भूमि है, और यह कि प्रथम पक्ष यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं फाक व साफ है तथा प्रथम पक्ष ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं नय, हिदा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। प्रथम पक्ष ने उक्त भूमि पर कृषि आण या अन्य प्रकार का कोई ऋण नहीं लिया है। यदि कोई ऐसा ऋण


 श्री. वि. दुबे

1/12/2012

 11/12/2012



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

P 27249UN 20

भविष्य में निकलता है तो उसके जिम्मेदार प्रथम पक्ष व उसके वारिसान व विधिक उत्तराधिकारी होंगे। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत बियाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। प्रथम पक्ष के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व हक या सत्वा इत्यादि नहीं है, एवं प्रथम पक्ष को उक्त अनुबन्ध करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सम्पत्ति के फलस्वरूप कुल विक्रय मूल्य रु० 10,55,000/- (रु० दस लाख पचपन हजार मात्र) के प्रतिकूल में द्वितीय पक्ष को विक्रय करना तय किया


 [Signature]

21/5/2016

 [Signature]



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



9.

है जिसमें से बर्तार अग्रिम धनराशि रु० 10,50,000/- (रु० दस लाख पचास हजार मात्र) प्रथम पक्ष ने प्राप्त कर लिया है जिसका उपरोक्त द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को इस विलेख के अन्त में वी गई अनुसूची के अनुसार नुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को प्रथम पक्ष सहों स्वीकार करता है, तथा प्रथम पक्ष सक्षम अधिकारी से संक्रमणीय भूमिधर दर्ज करवा कर द्वितीय पक्ष के पक्ष में संक्रमणीय भूमिधर घोषित होने के बाद तीन महीने के अन्दर द्वितीय पक्ष के पक्ष में विक्रय विलेख अवश्य निष्पादित कर देगा तथा कोई हीला हवाली या इन्कार नहीं करेगा तथा शेष बकाया


 ०५/७/२०११


 २०/७/२०११



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH




20

धनराशि रु० 5,000/- (रु० पाँच हजार मात्र) द्वितीय पक्ष से प्राप्त करके विक्रय विलेख अवश्य निष्पादित कर देगा तथा कोई झीलाहवाली या बहानेबाजी नहीं करेगा। ऐसी किसी भी प्रकार की स्थिति में द्वितीय पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह जरिये अदालत विक्रय विलेख निष्पादित करवा ले।

यह कि प्रथम पक्ष द्वारा विक्रीत भूमि का कब्जा इस अनुबन्ध पत्र द्वारा द्वितीय पक्ष को दिया जा रहा है।

यह कि अब उक्त आराजों पर प्रथम पक्ष तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है।


M. M. Sarda



M. M. Sarda



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



41

यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग प्रथम पक्ष के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण द्वितीय पक्ष या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो द्वितीय पक्ष उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, प्रथम पक्ष की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत यमुल कर लें। उस स्थिति में प्रथम पक्ष एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।



श्री अ. कुमार



श्री अ. कुमार



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



42

यह कि प्रथम पक्ष यह भी घोषित करता है कि उक्त भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ तथा उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ तथा अन्य किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था द्वारा अधिग्रहीत नहीं की गयी है और न ही प्रस्तावित है। यह कि इस विक्रय अनुबन्ध पत्र के पूर्व या अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको प्रथम पक्ष भुगतान न वहन करेंगे, प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति न होगी।



निदेश-कुल्लर



17/07/2011



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Z 682010

13

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम बरीना जामनगरीय क्षेत्र के सामान्य ग्राम के अन्तर्गत जाता है इसलिए निर्धारित सरकिल रेट रु० 22,50,000/- प्रति हेक्टेअर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.1895 हे० की मालियत रु 4,26,375/- होती है चूंकि विक्रय मूल्य, भूमि की बाजार मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रु० 73,850/- +100/- जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय अनुबंध पत्र के निबन्धन का समस्त व्यय द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया गया है।



प्रा. प्र. प्र. प्र.



प्रा. प्र. प्र. प्र.

लिहाजा यह विक्रय अनुबन्ध पत्र प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष के पक्ष में बिना किसी जोर व दबाव के स्वस्थ चित्त मन से समक्ष गवाहान लिख दिया ताकि सनद रहे और वक्त-जसूरत पढ़ने पर काम आवे।

परिशिष्ट: भुगतान विवरण

1. प्रथम पक्ष को अग्रिम धनराशि 8,00,000/- द्वारा चेक संख्या-892467 दिनांकित 03.08.2011 मंजाब नेशनल बैंक, हजरतगंज लखनऊ द्वितीय पक्ष से प्राप्त हुए।
2. प्रथम पक्ष को रू० 2,50,000/- नगद द्वितीय पक्ष से प्राप्त हुये। जिसकी प्राप्ति प्रथम पक्ष स्वीकार करता है।

इस प्रकार प्रथम पक्ष को अग्रिम मूल्य रू० 10,50,000/- (फू० दस लाख पचास हजार मात्र) द्वितीय पक्ष से प्राप्त हुए जिसकी प्राप्ति प्रथम पक्ष स्वीकार करता है।

लखनऊ:

दिनांक : 03.08.2011

गवाह :

1. जयप्रकाश शर्मा
जोकि-कल्याण निवासी
मन लाल कोमलेश्वरनगर

2. बंकिम सिंह
गुप्तम लखनऊ (लखनऊ)

प्रथम पक्ष

द्वितीय पक्ष

टाईपकर्ता

19

(लवलेश्वर सिंह)
सिविल कोर्ट लखनऊ

नसाविदाकर्ता

(बंकिम रमन सिंह)
एडवोकेट
सिविल कोर्ट लखनऊ

1,053,000.00 426,475.00 **विक्रय अनुबंध विवेक (समाप्त)**
 1,050,000.00 10,000.00 29 10,029.00 1,000

प्रत्यक्ष सनिधन अधीन प्रयोजित मूल्य संशुद्धि मूल्य में उचित सुधार योग अन्य प्रयोज्य

कोशली पुस्तक *दिनांक 3/8/2011*
 पूर्वी भी धरीदे

अग्रज सं. मुक्तिपीठ
 निवासी धारीदे सिद्धदा धारीमा लखनऊ
 जगतपीठ पर
 वे का संस्थापक एवं कार्यकारी चे. दिनांक 3/8/2011 पता 5-23PM
 एवं निवेदन हेतु भेज किन्तु। *दिनांक 3/8/2011*



पर्यवेक्षण अधिकारी के सम्मोह
दिनांक 3/8/2011
 पी. सी. द्विवेदी
 उपा निबंधक (प्रथम)
 लखनऊ
 3/8/2011

निवेदन निवेदन बाद सुधे च संशुद्धि संशुद्धि च फास प्रमाणां च प्रत्यक्षपर उक्त
 विवेक
 श्रीमती दुलाबा
 पूर्वी भी धरीदे *दिनांक 3/8/2011*
 पेशा मुक्तिपीठ
 निवासी सिद्धदा धारीमा लखनऊ



श्री. राम प्रसाद
 पूर्वी भी धारीमा
 पेशा मुक्तिपीठ
 निवासी धारीमा पूर्वी भी धारीमा लखनऊ

दिनांक 3/8/2011

निवेदन निवेदन बाद सुधे च संशुद्धि संशुद्धि च फास प्रमाणां च प्रत्यक्षपर उक्त
 विवेक
 श्री. राम प्रसाद *दिनांक 3/8/2011*
 पूर्वी भी धारीमा लखनऊ
 पेशा मुक्तिपीठ
 निवासी धारीमा लखनऊ
 वे का संस्थापक एवं कार्यकारी चे.

दिनांक 3/8/2011



पर्यवेक्षण अधिकारी के सम्मोह
दिनांक 3/8/2011
 पी. सी. द्विवेदी
 उपा निबंधक (प्रथम)
 लखनऊ
 3/8/2011

प्लॉट नं० - इलाहाबाद शरीर बाली

रकबा - 0.1895 हे०

मैत - 11/11/1944, 2/6/1907/1

थान - बरौदा

खसरा नं० 136, 137, 1624/1

f

बावा



प्लॉट नं० / थान नं०
प्लॉट नं०
इलाहाबाद

2/6/1907/1
प्लॉट नं०
इलाहाबाद


विक्रमा

Registration No: 11478

Year: 2011

Book No: 1

0101 इलाहा
गरीब
विद्यालय (महाराष्ट्र)
मुंबई



સુધી

Registration No. 13478

Year: 2011


Book No

1


0201 જાત સ્થાપ
સભા
જામ રૂઢી સુધી સુધી સુધી
સભા



रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा-32ए0 के अनुपालन हेतु, फिंगर्स प्रिन्ट्स
 प्रथम पक्ष का नाम व पता:- दुलारा पुत्री घसीटे निवासी- शिवदरा, बरीना, जिला लखनऊ।
 बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह:-



दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-




दुलारा पुत्री
 घसीटे

द्वितीय पक्ष का नाम व पता:- गयाप्रसाद पुत्र भगानी निवासी ग्राम- पूरे निधी, किल्लीली, जिला
 रायबरेली।
 बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह:-

प्रथम पक्ष के हस्ताक्षर



दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह:-



द्वितीय पक्ष के हस्ताक्षर

गया प्रसाद
 भगानी

आज दिनांक 03/08/2011 को

पृष्ठी सं 1 जिल्द सं 13068

पृष्ठ सं 203 से 236 पर क्रमांक 11478

संज्ञादीकृत किया गया।

संग्राहीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर



पी. के. दिवेदी

उप निबन्धक (प्रथम)

दरसनऊ

03/08/2011

